न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **155/2016** अन्तर्गत धारा 91, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
सताराम पुत्र खुमाराम जाति जाट, निवासी उचावड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. गोरधनराम पुत्र ताजाराम 2. दुर्गाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट, निवासी उचावड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– वादी अधिवक्ता – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 06.05.2026

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी के खेत मौजा उचावड़ा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 69, 70, 91, 1053/72 रकबा क्रमशः 0.06, 0.12, 0.03, 53.12 बीघा के आये हुए है। जिस पर वादी का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त आराजी के सेढा सेढ ही प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 72 आयी हुई। उक्त सेढा को लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हर समय विवाद रहता है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी भी करवाई हुई है, जिसमें प्रतिवादीगण का अतिक्रमण होना बताया गया है तथा वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर वादी की खातेदारी में से कब्जा हटाने से इंकार कर दिया गया है। नेखमबंदी की कार्यवाही में माठों व कोनों का मिलान करते हुए बिन्दु संख्या ए, बी, सी, डी, ई कायम किये जाकर नेखम स्थापित किये गये, जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मौके पर उपस्थित होने के बावजुद पैमाईश को नहीं मानते हुए हस्ताक्षर करने से मना किया गया। वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में मौके पर स्थापित किये गये नेखमों को रात्रि में हटाकर जबरन कब्जा करने तथा दखलदांजी करने पर आमादा है। वादी के शांतिप्रिय एवं ग्रामीण होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है। वादी द्वारा जब प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना किया तो इससे प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी में जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी का वादी रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में स्थपित किये गये पक्के नेखमों को नहीं हटाने तथा जबरन कब्जा व दखलदांजी नहीं करने एवं मौके की यथास्थिति हेतु स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। शेष प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। वादी साक्ष्य में साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा पीडब्लयू 1 तथा गवाह नारणाराम द्वारा पीडब्लयू 2 के रूप में अपने अपने बयान गवाह शपथ पत्र पेश किये गये।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये वि[illegible] अतिक्रमण को हटाया जाकर कब्जा वादी को दिलवाने जाने का आदेश किये जाने का [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:00:59 IST
Reason: SelfAttested

हमने वादी अधिवक्ता [illegible] पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक [illegible] जमाबंदी के अवलोकन से [illegible] कि वादी विवादित आराजी का रेकर्डेड खातेदार है [illegible] द्वारा अपनी खातेदारी [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाकर मौके पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में की गई नेखमबंदी पालना रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार वादग्रस्त आराजी की नेखमबंदी की

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

जाकर बिन्दु संख्या ए, बी, सी, डी, ई कायम किये गये, जिस पर विप्रार्थी दुर्गाराम के अलावा समस्त मौतबिरान व प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश कर वादी के खातेदारी खेत से प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादी की खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाई हुई होने तथा वादी अपनी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी रोकने तथा निषेधाज्ञा जारी करवाने का विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि मौजा उचावड़ा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 69, 70, 91, 1053/72 रकबा क्रमशः 0.06, 0.12, 0.03, 53.12 बीघा की भूमि में वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के खेत में नेखमबंदी के दौरान स्थापित किये गये पक्के नेखमों को नहीं हटाने, वादी के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने तथा मौके की यथास्थित बनाये रखे जाने के आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करवाई जावें। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 19:00:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner